



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1553]
No. 1553]नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2009/ आश्विन 7, 1931
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2009/ASVINA 7, 1931

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2009

का.आ. 2471(अ).—यतः नीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रवधानों के अनुसार 13 अप्रैल, 2009 की सं. का.आ. 957(अ) की सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा-अपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपत्तियाँ/सुझावों पर विचार किया गया है; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान-2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

जोन 'घ' में 1832.75 वर्ग मी. के निम्न क्षेत्र का भू-उपयोग नीचे सूचीबद्ध वर्णन के आधार पर बदला जाता है—

स्थान	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	भू-उपयोग परिवर्तित	सीमा	
				1	2
जोन 'घ' में इन्द्रप्रस्थ एस्टेट	1832.75 वर्ग मीटर सार्वजनिक और अद्वारकारी उपयोग	सरकारी कार्यालय	पूर्व—9 मी. चौड़ी सड़क और मौजूदा भवन पश्चिम—मौजूदा बिहारी कर भवन परिसर उत्तर—9 मी. चौड़ी सड़क दक्षिण—9 मी. चौड़ी सड़क और एजीसीआर परिसर	3	4

[सं. के-13011/1/2008-डीडीआईबी]

मी. के. सतीरा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2009

S.O. 2471(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 957(E) dated 13th April, 2009 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification

The land use of the following area measuring 1832.75 sq m. of land falling in Zone-D is changed as per description listed below:—

Location	Area	Land Use (MPD-2021)	Land Use Changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Indraprastha Estate in Zone-D	1832.75 sqm.	Public & Semi Public use	Government Office	East—9 m. wide road and existing building West—Existing Sales Tax Building premises North—9 m. wide road South—9 m. wide road and AGCR premises.

[No. K-13011/1/2008-DDIB]

P.K. SANTRA, Under Secy.